राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.13(12)राज–1/90 पार्ट–III   जयपुर, दिनांक : फरवरी 16, 2008

–: परिपत्र :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 व 108 के अन्तर्गत तहसील को भू–प्रबन्ध के लिये अधिसूचित करने के बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। इस कार्य के लिये भू–प्रबन्ध विभाग तहसील से नवीनतम जमाबन्दी की सरकारी पड़त की प्रति प्राप्त कर भू–सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करता है। भूमि प्रबन्ध संक्रियाएं करने तक भू–प्रबन्ध विभाग इसी अभिलेख के आधार पर कार्य करता है। भू–प्रबन्ध संक्रियाओं को पूर्ण होने में काफी समय लग जाता है एवं इस दौरान तहसील स्तर से चौसाला जमाबन्दी करने का कार्य बन्द कर दिया जाता है एवं इस दौरान जो भी नामान्तकरण तस्दीक किये जाते हैं उनके लिये जमाबन्दी के विशेष विवरण में लाल स्याही से नोट अंकित कर दिया जाता है। इतने ज्यादा समय में काफी टिप्पणी अंकित होने से अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं रिकार्ड भी आदिनांक नहीं रहता है। वर्तमान में सभी जमाबन्दियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है एवं इसको नियमित तौर पर आदिनांक किया जा रहा है एवं जो सम्पूर्ण राज्य में "अपना खाता" वेबसाइट पर उपलब्ध भी है।

पूर्व में भू–प्रबन्ध विभाग में नामान्तकरण तस्दीक करने एवं खातेदारों के नाम परिवर्तन करने के अधिकार थे। ऐसी स्थिति में चौसाला जमाबन्दी को नहीं बनाया जाना ही उचित था परन्तु वर्तमान में नामान्तकरण तस्दीक करने का कार्य राजस्व विभाग का है एवं इसी आधार पर जमाबन्दी में नोट लगाया जाता है एवं कम्प्यूटर डेटा को भी आदिनांक किया जा रहा है। अतः चौसाला जमाबन्दी नहीं बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि तहसील भू–प्रबन्ध के अन्तर्गत अधिसूचित होने पर भी नियमित तौर पर चौसाला जमाबन्दी बनाई जाती रहे। वर्तमान में जो तहसील भू–प्रबन्ध के अन्तर्गत अधिसूचित हैं उनमें यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाये ताकि रिकार्ड सुव्यवस्थित रहे एवं भू–अभिलेख के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे।

(ललित कोठारी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव